

2023/101 ✓

23/6/23  
27/6/23

पोली स्टेशनरी, माहलगाव 230289  
ता. पेकी स्टेशन

राजस्थान सरकार  
( कायदा - 129 )

जनरल फ्लॉस सिविल फ्लॉस 129 अपेन्डेक्स फॉर्म नम्बर 8 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिर्जोलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

विहम मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दावप 3	तारीख फंसला 4	फंसला कर्नाक 5
111-128	147/23	12/6/23	27/6/23 अभिष्ट	31/6/23

अन्याय

पो-दयाराध 30 गोपाललाल पो-काजलेश 30 अडेपालाल कपूर  
रुमर  
निवासी-घोरेछा ता.द. तालेता बुडी निवासी-रेसुन्दा

पंकज कपिल धारुड  
अधिवक्ता बावी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता बावी / प्रार्थी / अपीलान्त

दिवादी

रेस्पाडेन्ट / अडयुनात

दी



FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

विजौलियां

दयालाम

बनाम

क. मेल्लेरा




किस्म मुकदमा -

111-128

नम्बर

14-7

/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12/06/2023	<p>प्रार्थना पत्र सीमे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलवी/जवाब दिनांक 23/06/2023 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी विजौलियां</p>	
23/06/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। PO सहित दौरे पर गेले से भण्डारी दिनांक 27/06/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
27/6/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीयता की बाद तामील प्राप्त हो चुकी है। विपक्षी (8) का नाम डिटिड किया गया है। विपक्षीयता बाद तामील अनुपस्थित। विपक्षीयता के विरुद्ध छ-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर पारित पत्र हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी विजौलियां जिला-भीलवाड़ा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 147/23

तारीख दायर 12/06/23

दयाराम पुत्र गोपाललाल जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी  
धोरेला तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. कमलेश पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेसून्दा तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. विनोद पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेसून्दा तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. रमेश पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेसून्दा तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. रतन पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेसून्दा तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. गोपाल पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेसून्दा तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. ओमप्रकाश पुत्र उदा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेसून्दा तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. धर्मा पुत्र जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेसून्दा तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 27/06/23

प्रार्थना पत्र दयाराम गुर्जर ने जरिये अभिभाषक श्री पंकज धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम रेसून्दा प0ह0 रेसून्दा तहसील विजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 16 पर अंकित आराजी संख्या 3/6 रकबा 0.8094 हे0 भूमि, खाता संख्या 77 पर अंकित आराजी संख्या 3/4 रकबा 0.8094 हे0 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

उप खण्ड अधिकारी  
विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा




प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्मत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500 /- रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम रेसून्दा प0ह0 रेसून्दा तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 16 पर अंकित आराजी संख्या 3/6 रकबा 0.8094 हे0 भूमि, खाता संख्या 77 पर अंकित आराजी संख्या 3/4 रकबा 0.8094 हे0 भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

  
सुपरवण्ड अधिकारी  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भालवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 147/23

तारीख दायर 12/06/23

प्रेषिति :- तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 147/23 पत्थरगढी बाबत।

दयाराम पुत्र गोपाललाल जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी

धोरेला तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. कमलेश पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेसून्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
2. विनोद पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेसून्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
3. रमेश पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेसून्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
4. रतन पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेसून्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
5. गोपाल पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेसून्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
6. ओमप्रकाश पुत्र उदा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेसून्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
7. धर्मा पुत्र जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रेसून्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण



उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है  
मौजे ग्राम रेसून्दा प0ह0 रेसून्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता  
संख्या 16 पर अंकित आराजी संख्या 3/6 रकबा 0.8094 हे0 भूमि, खाता  
संख्या 77 पर अंकित आराजी संख्या 3/4 रकबा 0.8094 हे0 भूमि की  
बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान  
कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाय जावे  
तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी  
हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।  
कमिश्नर फीस 600/- रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी  
करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुये पत्थरगढी करें।  
पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

